न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 33/2016

1. बंसीलाल
2. इन्द्राज

पिसरान हरीराम निवासी चक 2 पी.एस.डी.बी तह0घडसाना जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलांट्स

बनाम

1. रूडाराम पुत्र जीवनराम जाति बावरी निवासी गांव मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगांगनगर।
2. किशनराम पुत्र मुन्शीराम जाति बावरी निवासी गांव मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. शान्ति देवी पत्नी हरीराम
4. रामप्यारी पुत्री हरीराम
5. सन्तलाल पुत्र हरीराम
6. चांदीराम पुत्र हरीराम
7. सोहनलाल पुत्र हरीराम
8. कृष्णलाल पुत्र हरीराम

निवासी चक 2 पी.एस.डी.बी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर
दिनांक 28.01.2016

उपस्थिति–
श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक अपीलांट
श्री राकेश कुमार अभिभाषक रेस्पों. सं. 1
श्री महावीर धारणीयां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक–4-7-2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया कि उपरोक्त शीर्षक का वाद न्यायालय के समक्ष पेश कर रखा है जिसके सफल होने की पूरी–पूरी संभावना है। अतः निवेदन है कि वाद के अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 चक 17 एफ बडा के खाता सं. नया व पुराना 46 के मु.नं. 59 के कि.नं. 7 में 0.227है0, कि. नं. 8 से 10 प्रत्येक में 0.253है0, कि.नं. 11 में 0.177है0, कि.नं. 12 में 0.088है0,

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

कि.नं. 13 में 0.0130है0 व मु.नं. 63 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 0.253है0, कि.नं. 3/1 में 0.152है0 कुल 2.681है0 रकबा को तथाकथित दस्तावेज वसीयत आदि के आधार पर अपने नाम से रिकार्ड में दर्ज करवाने व उसको रहन, बैय करने से बाज व ममनू रहे।

(A) प्रतिवादीगण ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र मय खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया।

(B) उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.01.2016 से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया और साथ ही पूर्व में जारी दिनांक 17.06.2015 से अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया।

(C) उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पों. सं. 3 ता 8 द्वारा एक नियमित वाद धारा 88, 53, 183 राज.काश्त. अधि. का इस आशय के साथ अधी. न्यायालय में पेश किया है कि वाके चक 17 एफ के मु.नं. 59 व 63 की 2.797है0 आराजी प्रार्थीगण के दादा के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण के दादा, पिता/पति की मृत्यु हो चुकी है। मृतक पिता हरीराम के जायज वारिस होने के आधार पर पैतृक सम्पत्ति में हक व अधिकार की घोषणा के साथ कब्जा दिलवाने हेतु निवेदन किया। वाद पत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा.पत्र प्रस्तुत किया जो अन्तरिम रूप से दिनांक 17.06.15 को स्वीकार फरमाया गया। रेस्पों. के जबाब प्रा. पत्र का मुख्य आधार वसीयतनाम है। वसीयत की वैधता की जांच वाद पत्र में तनकीयात कायम उपरांत साक्ष्य द्वारा अन्तिम निर्णय से होती है। यदि रेस्पों. संख्या 1 व 2 वसीयतनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने में सफल हो जाते हैं तो अपीलांट का वाद निष्फल हो जावेगा और भविष्य में अपीलांट को अन्य कानूनी मानको में उलझना पडेगा और वादो की बहुलता बढेगी। अधी. न्यायालय ने तीनों कारकों को पूर्ण रूप से विस्तृत विवचन ना कर कानूनी भूल की है। अतः निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2016 को निरस्त फरमाया जाकर अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये (1) आर.आर.डी. 14.05.2019 पेज 297 (2) आर.आर.डी. 14.09.2015 पेज 497

और कहा कि ऐसे मामले जहां वसीयत प्रश्नागत है व न्यायालयों का निर्धारित करना है वहां स्थगन प्रदान किया जाना उचित होगा।

(ii) विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी.न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अधी. न्यायालय ने सही विवेचन कर निर्णय पारित किया है। अतः निवेदन है कि अपील खारिज अपीलांट खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) प्रस्तुत मामले में अपीलांटगण वसीयत जिसके आधार पर प्रत्यर्थीगण का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं हुआ है जबकि अधी. न्यायालय के निर्णय में उल्लेख है कि वादी ने कहा है कि अंकन हो चुका है तथा अधी. न्यायालय ने अपने निर्णय में भी इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया है तथा प्रार्थी के कथन पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में नहीं मानकर स्थगन अस्वीकार कर दिया। जिसे चुनौती देते हुए वर्तमान में वसीयतदार के विरूद्ध स्थगन अधी. न्यायालय में चाहा था जो प्रथम दृष्टया मामला उनके पक्ष में नहीं होने से दिनांक 28.01.2016 को अस्वीकार किया जा चुका है।

(b) अधी. न्यायालय में मूल वाद विचाराधीन है, साथ ही भूमि के पैतृक होने व वसीयत के सही होने या ना होने का प्रश्न क्रमशः विधि व तथ्य के प्रश्न है। वसीयत गलत है, यह तथ्य का प्रश्न है जिसे चुनौती सक्षम न्यायालय में ही दी जा सकती है व निर्णय विचारण पश्चात ही सम्भव है। वर्तमान में वसीयतधारी की वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन विद्यमान नहीं है।

(c) फलस्वरूप अधी. न्यायालय के निर्णय में उक्त विवेचनानुसार हस्तक्षेप करने योग्य पाते है व मामले में भविष्य में अनावश्यक पेचीदगियां पैदा न हो इसलिए उक्त नजीरों के प्रकाश में ता फैसला वाद स्थगन जारी रखा जाना उचित पाते है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 4-7-2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर